भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3667

दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मत्स्यपालन क्षेत्र में आय और रोजगार

3667. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मत्स्यपालन क्षेत्र द्वारा सृजित आय और रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क): देश में मात्स्यिकी के विकास के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) 'नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन' का क्रियान्वयन कर रहा है। देशभर में विभिन्न मात्स्यिकी विकास की गतिविधियों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से 152041.52 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। देश में मात्स्यिकी सेक्टर की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ संस्थानों/संगठनों को योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत सीधे धनराशि जारी की जाती है, एवं ये गतिविधियाँ रोजगार पैदा करने में सहायता करती हैं। मात्स्यिकी सेक्टर में आय एवं रोजगार के राज्यवार आंकड़ों का हिसाब केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख): 'नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन' योजना के अंतर्गत देशभर में मात्स्यिकी विकास को लक्षित करते हुए मत्स्यपालन विभाग निम्नलिखित मुख्य घटकों पर कार्य कर रहा हैः

i) अंतर्देशीय एवं जलकृषि का विकास
ii) समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना एवं पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन का विकास
iii) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना
vi) मात्स्यिकी सेक्टर के डाटा-बेस एवं भौगोलिक सूचना तंत्र को मजबूत करना
v) अनुरक्षण, नियंत्रण एवं निगरानी (एम.सी.एस) एवं आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप
vi) मात्स्यिकी सेक्टर के लिए संस्थागत व्यवस्था

मात्स्यिकी के संपूर्ण विकास के लिए उपर्युक्त मुख्य घटकों के अतिरिक्त, मछुआरों एवं मत्स्य किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न उप-घटकों के तहत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस विभाग द्वारा चिन्हित मात्स्यिकी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों, निजी उद्यमियों एवं राज्य इकाइयों सहित पात्र इकाइयों को रियायती दर पर वित्त-पोषण करने के लिए 7522.48 करोड़ रुपये की कुल आधार भूत निधि की मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफ.आई.डी.एफ) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एफ.आई.डी.एफ के अंतर्गत, नोडल ऋणदाता इकाइयों जैसेकि (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), (ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी) एवं (ग) सभी राष्ट्रीय बैंकों द्वारा रियायती दरों पर वित्त पोषित किया जाता है। भारत सरकार नोडल ऋण इकाइयों द्वारा रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध करवाने पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

*****